मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 (फाल्गुन 20, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 174 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 180 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

(श्री अजय सिंह के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सोयाबीन फसल की बीमा राशि के भुगतान के संबंध में श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) तेन्दूखेड़ा तहसील के ग्राम खिरकिया में दलितों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार होने संबंधी पृच्छा, अखबार प्रदर्शन एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – तेंदूखेड़ा ग्राम खिरकिया के दलित बच्चे को हैंडपंप से पानी नहीं पीने देने के कारण पास की बावड़ी में उ तरने पर डूबने से मौत होने और मध्यप्रदेश के दलितों एवं इस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार संबंधी उल्लेख किया गया.

(2) भिण्ड जिले में प्रायवेट और स्कूलों के सेंटर्स की अदला-बदली के कारण माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में छात्रों द्वारा परीक्षा न दे पाना

श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – भिण्ड जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में 16 हजार छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं. क्योंकि शिक्षा मण्डल के शासकीय विद्यालय का सेंटर प्रायवेट स्कूल में और प्रायवेट स्कूल का सेंटर शासकीय स्कूल में कर दिया गया है और 50 किलोमीटर की दूरी पर कुछ सेंटर बनाए गए हैं.

(3) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में दिए गए निबंध के मुद्दे पर दिए गए संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह उल्लेख किया कि – 12वीं की परीक्षा के पेपर वाले मुद्दे पर स्थगन दिया था, इस पर अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अभी माननीय मंत्री इस पर वक्तव्य दे रहे हैं.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने इन्दौर उज्जैन संभाग में बी.एड. की डिग्रियों के वितरण में धांधली होने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इन्दौर शहर में प्रायवेट स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि की जाने,
(3) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य ने चंदला क्षेत्र में नीलगायों द्वारा फसलें नष्ट किये जाने,
(4) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य ने भोपाल के नेहरू नगर स्थित वार्ड नं. 27 में अतिक्रमण किये जाने,
(5) श्री अरूण भीमावद, सदस्य ने शाजापुर जिले के संतरा उत्पादक कृषकों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने मुरैना में सहायक शिक्षक की पदस्थापना मांग अनुसार न किये जाने,
(7) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण में अनियमितता होने,
(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता का भुगतान न होने,
(9) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य धीमी गति से होने तथा
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने महिदपुर निवासी एक व्यक्ति से अवैध उत्खनन की राशि वसूल न की जाने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

5. मंत्री का वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में आरक्षण विषय पर पूछे गए निबंध के संबंध में वक्तव्य दिया. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त की.

6. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा वक्तव्य से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

8. ध्यान आकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में कृषकों से थ्रेशर कनेक्शन की राशि जबरिया वसूल किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य ने जबलपुर जिले की नगर परिषद् बरेला में प्रदूषित पेयजल का प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक – 3)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	45 मिनिट
2.	(क्रमांक – 37)	श्रीमती रंजना बघेल	45 मिनिट
3.	(क्रमांक – 41)	श्री विश्वास सारंग	60 मिनिट

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(2) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(3) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(5) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(8) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(9) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(12) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(13) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(16) श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर (जिला-खण्डवा)
(17) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(18) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-भोपाल शहर)
(19) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(20) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(21) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतपुर)
(22) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मन्दसौर)
(23) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(24) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

(25) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(26) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(27) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(28) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(29) श्री कुँवर सिंह टेकाम (जिला-सीधे)
(30) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(31) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(32) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(33) श्री कुँवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(34) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(35) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(36) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(37) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(38) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(39) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(40) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(41) श्री दिनेश राय "मुनमुन" (जिला-सिवनी)
(42) श्री सुशील कुमार तिवारी (इन्दू भैया) (जिला-जबलपुर)
(43) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(44) श्री राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(45) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(46) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)

11. मंत्री का वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में विद्युत के विक्रय तथा खपत पर लगने वाले विद्युत शुल्क की वर्तमान में लागू दरों को युक्तिसंगत करने संबंधी वक्तव्य दिया गया. श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

12. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(7) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए चार हजार दो सौ चौउवन करोड़, नवासी लाख, सात हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए नौ सौ अड़तीस करोड़, पैसठ लाख, सतहत्तर हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री दिलीप सिंह परिहार
(3) श्री प्रताप सिंह
(4) श्री के.के. श्रीवास्तव
(5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(17) श्री अजय सिंह
(18) श्रीमती शीला त्यागी

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(19) डॉ. मोहन यादव
(20) श्री हरदीप सिंह डंग
(21) श्री आर.डी. प्रजापति
(22) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(23) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार

(24) श्री दिनेश राय
(25) श्री बहादुर सिंह चौहान
(26) श्री सुखेन्द्र सिंह
(27) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(28) श्रीमती सरस्वती सिंह
(29) श्रीमती ऊषा चौधरी
(30) श्री दुर्गालाल विजय

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(31) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(32) डॉ. कैलाश जाटव
(33) कुंवर विक्रम सिंह
(34) श्री वैलसिंह भूरिया
(35) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(36) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(37) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(38) श्री देवेन्द्र वर्मा
(39) श्रीमती झूमा सोलंकी
(40) श्रीमती ललिता यादव
(41) श्री कमलेश्वर पटेल
(42) श्रीमती ममता मीना
(43) डॉ. रामकिशोर दोगने
(44) इंजी. प्रदीप लारिया
(45) श्री गिरीश भंडारी
(46) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(47) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(48) श्री सचिन यादव
(49) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(50) श्री नीलेश अवस्थी
(51) श्री प्रदीप अग्रवाल
(52) श्री यादवेन्द्र सिंह
(53) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(54) श्री चम्पालाल देवड़ा
(55) श्री नारायण सिंह पंवार
(56) श्री राजेश सोनकर
(57) श्री अनिल फिरोजिया
(58) श्री वीर सिंह पंवार
(59) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए दो हजार पांच सौ इक्यासी करोड़, बासठ लाख, बारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 43	खेल और युवक कल्याण के लिए एक सौ पंद्रह करोड़, पंचानवे लाख, पच्चीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए एक सौ चौपन करोड़, सड़सठ लाख, पैंतालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी
(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल
(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत

(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(6) कुंवर विक्रम सिंह

सभापति महोदय (श्री ओमप्रकाश सखलेचा) पीठासीन हुए.

(7) श्री रामेश्वर शर्मा
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)

सभापति महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(10) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(11) श्री के.के. श्रीवास्तव
(12) श्री ऊषा चौधरी
(13) श्री दिलीप सिंह परिहार
(14) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(15) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(16) श्री गोविन्द सिंह पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(17) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(18) श्री देवेन्द्र वर्मा
(19) श्री दिनेश राय
(20) श्री मानवेन्द्र सिंह
(21) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मांग संख्या 11, 43 एवं 51 पर कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये. सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.

(22) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(23) श्री वीर सिंह पंवार
(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(25) श्री दुर्गालाल विजय
(26) श्री बहादुर सिंह चौहान
(27) श्री राजेश सोनकर
(28) श्री भारत सिंह कुशवाह
(29) श्री अनिल फिरोजिया
(30) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(31) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(32) डॉ. रामकिशोर दोगने

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य का संकल्प क्रमांक 51, शुक्रवार को लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – “आज गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदन में प्रस्तुत प्रतिवेदन में आगामी शुक्रवार हेतु श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य का अशासकीय संकल्प क्रमांक-3 सम्मिलित कर समय नियत किया गया है. परन्तु इस अशासकीय संकल्प के कार्य हेतु बजट में प्रावधान होने से मांग की पूर्ति हो गई है. अत: इस अशासकीय संकल्प के स्थान पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य का संकल्प क्रमांक-51 कल शुक्रवार हेतु उसी नियत समय में लिया जाना उचित होगा”.

रात्रि 8.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 (21 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 मार्च, 2016